www.chronicleindia.in

facebook/civilserviceschronicle

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

जून 2022
❑ वर्ष 31 ❑ अंक 10

इस अंक में

प्रारंभिकी 2022 स्पेशल 5

111 करेंट अफेयर्स रिमाइंडर 2021-22

167 **राज्य परीक्षा विशेष**
यूपीपीसीएस प्रा. विशेष
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन : बिंदुवार तथ्यावलोकन

172 **राज्य परीक्षा विशेष**
एमपीपीसीएस प्रा. विशेष
मध्य प्रदेश विशेष करेंट अफेयर्स

सामयिक आलेख

07 परिवहन क्षेत्र का विकार्बनीकरण : ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की आवश्यकता
10 भारत-ऑस्ट्रेलिया : बहुध्रुवीय हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वाभाविक भागीदार
13 भारत में पोषण सुरक्षा : खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर स्थानांतरण
16 मानवजनित पर्यावरणीय क्षति : न्यूनीकरण की आवश्यकता एवं उपाय
19 भारत में गरीबी : व्युत्पन्न मुद्दे एवं चुनौतियां

विषय विमर्श

22 सामाजिक पूंजी : भूमिका, बाधाएं एवं संभावनाएं

नीति विश्लेषण

25 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को लागू किए जाने की आवश्यकता

इन फोकस

28 वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र : आवश्यकता एवं महत्व
30 भारतीय उद्यमिता क्षेत्र में महिलाएं : नीतियां, अवसर एवं चुनौतियां
31 भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया : वैधानिक उपाय तथा संबंधित मुद्दे
33 महामारी नियंत्रण एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार : समन्वय की आवश्यकता एवं औचित्य
34 चरम जलवायु घटनाएं : प्रभावशीलता एवं उपशमन पहलें
36 भारत-मॉरीशस : हिन्द महासागरीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार

निबंध

177 क्या अधिक मूल्यवान है, बुद्धिमत्ता या चेतना?

155 **करेंट अफेयर्स मॉक टेस्ट (प्रारंभिकी 2022)**

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय 38-48

38 राजभाषा हिंदी तथा भारतीय संविधान
39 विदेशी दान प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
40 रिक्यूजल ऑफ जजेस
40 क्षेत्रीय परिषद : संरचना एवं कार्य
41 एनएफडीसी के तहत 4 फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय
42 मुल्लापेरियार बांध तथा बांध सुरक्षा अधिनियम
43 सतलज यमुना लिंक नहर विवाद
43 सड़क दुर्घटनाओं पर त्वरित जानकारी हेतु ई-डीएआर पोर्टल
44 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
45 ई-बीसीएएस परियोजना
45 रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन
46 सीमा दर्शन परियोजना
47 एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट
47 टूअर ऑफ ड्यूटी
48 सवालों के घेरे में सीबीआई की विश्वसनीयता

सामाजिक परिदृश्य 49-55

49 पूर्ववर्ती पेंशन योजना बनाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
50 पदोन्नति में कोटा हेतु मानदंडों का निर्धारण
51 एकीकृत बाल विकास सेवाएं
51 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
52 स्वनिधि से समृद्धि योजना
53 स्टैंड-अप इंडिया योजना
54 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग

54 उन्नत भारत अभियान
55 भारत-अमेरिका शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह

विरासत एवं संस्कृति 56-61

56 महान सामाजिक-राजनीतिक सुधारक : डॉ. भीमराव अम्बेडकर
57 महावीर स्वामी : शिक्षा एवं योगदान
57 सिखों के 9वें गुरु : गुरु तेग बहादुर
58 बेलूर का ऐतिहासिक चेन्नाकेशव मंदिर
59 तमिल नव वर्ष : पुथांडु
59 बोहाग बिहू उत्सव
59 रम्पा विद्रोह के लोक नायक : अल्लूरी सीता राम राजू
60 जलियांवाला बाग नरसंहार
60 11वीं सदी का लिंगराज मंदिर
61 गुरु नाभा दास

आर्थिक परिदृश्य 62-71

62 फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग हेतु विनिमय मसौदा
63 सीवीड की कृषि
64 ईपीसीजी योजना के कुछ मानकों में ढील देने का निर्णय
64 इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध
65 रैम्प योजना को मंजूरी
66 संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
66 रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट : मुद्रा एवं वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट
67 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नवीन संस्करण
67 अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण
68 एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र
69 भारत में पेट्रोल और डीजल का मूल्य निर्धारण
70 भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर की नवीन प्रवृत्तियां
70 'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' अभियान
70 साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 72-80

72 भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी
73 भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध : नवीन घटनाक्रम
73 भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता
74 भारत-मालदीव नेविगेशन चार्ट का अनावरण
74 चीन तथा सोलोमन द्वीप के मध्य सुरक्षा समझौता
75 रूस का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबन
75 श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा
77 अमेरिकी रक्षा बजट और हिन्द-प्रशांत रणनीति
77 संयुक्त अरब अमीरात में आरंभ की गई UPI सुविधा
77 इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर
78 ग्लोबल विंड रिपोर्ट-2022
78 रियल-टाइम लेनदेन पर एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट
79 विश्व पर्यटन संगठन की सदस्यता छोड़ेगा रूस
79 भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद
79 विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग
80 भारत-मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना

पर्यावरण एवं जैव विविधता 81-90

81 भारत में वनाग्नि की घटनाएं कारण एवं प्रभाव
82 हिमालय क्षेत्र के वर्षण में समग्र रूप से गिरावट
82 मार्च में दो निम्न वायुदाब का विकास
83 भारत की तटीय रेखा का एक तिहाई भाग अपरदन का शिकार
84 वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन उपलब्धता में असंतुलन
85 स्टील अपशिष्ट से टिकाऊ सड़क निर्माण
85 हरित हाइड्रोजन के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना
86 नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल
86 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की संख्या में वृद्धि
87 वन्यजीव संरक्षण विधेयक पर संसदीय समिति की अनुशंसा
88 आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट का तीसरा भाग
89 भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022
90 अर्थ ऑवर 2022
90 ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान योजना का विस्तार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 91-99

91 अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता पर भारत-अमेरिका समझौता
92 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का संचालन तापमान
93 प्रधानमंत्री गतिशक्ति के कार्यान्वयन में भू-स्थानिक मानचित्रण पर जोर
93 mRNA वैक्सीन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
94 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
95 टैंक-रोधी गाइडेड मिसाइल : हेलीना
95 गगन उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण
96 त्रिपुरा में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रसार
97 साइबर सुरक्षा पर माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक पहल
98 सामूहिक विनाश के हथियार पर प्रतिबंध से संबंधित विधेयक
98 अंतरिक्ष ईंट
99 यूरोपा पर जल की संभावना
99 माइक्रोबॉट्स के माध्यम से शरीर में लक्षित दवा वितरण

राज्यनामा.....101-102

लघु सूचिका 103-104

खेल परिदृश्य..... 105-110

संपादक: एन.एन. ओझा
सहायक संपादक: सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष: संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष: कीर्ति नंदिता
सहायक महाप्रबंधक: पंकज पांडेय
संपादकीय: 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन: 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता: 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार: 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल: 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय: क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

परिवहन क्षेत्र का विकार्बनीकरण

ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की आवश्यकता

• संपादकीय डेस्क

परिवहन क्षेत्र कार्बन उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्त्ता है। केवल सड़क परिवहन के माध्यम से लगभग 33% पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन होता है। भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के परिवहन क्षेत्र का विकार्बनीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का एक व्यापक बाजार है और देश इस अवसर का लाभ उठाकर जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के प्रति की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकता है।

21 अप्रैल, 2022 को नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिये बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया। मसौदा नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा हेतु बैटरी स्वैपिंग इकोसिस्टम की दक्षता में सुधार करना है। मसौदा नीति के अनुसार बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क (Battery Swapping Stations) के विकास के प्रथम चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय शहरों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। बैटरी स्वैपिंग एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत चार्ज की गई बैटरी को डिस्चार्ज बैटरी (Discharged Batteries) से बदला जाता है। ऐसा करके बिना अधिक समय गवाएं बैटरी आधारित वाहनों को परिचालन मोड में रखा जा सकता है।

* यह नीति भारत के परिवहन क्षेत्र का विकार्बनीकरण करने में सहायता करेगी। भारत, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है।
* इसके तहत भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण हेतु वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, भारत में विकार्बनीकरण तथा इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

भारत में परिवहन क्षेत्र तथा कार्बन उत्सर्जन

भारत में एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ परंपरागत ऊर्जा पर आधारित परिवहन साधनों के बाजार में तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। वर्ष 2019 में भारत में वाहन पंजीकरण की वृद्धि दर (10%) उच्चतम स्तर पर दर्ज की गई थी और यह विश्व में पांचवां सबसे बड़ा कार निर्माता देश था।

* परिवहन साधनों से होने वाला उत्सर्जन शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। सरकारी अनुमानों के अनुसार वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, 'पार्टिकुलेट मैटर 2.5' (PM 2.5) में 20-30% योगदान देता है।
* उपर्युक्त के साथ, भारत का परिवहन क्षेत्र कुल ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 8% का योगदान करता है। दिल्ली जैसे महानगरों में इसकी मात्रा 30% से भी अधिक है।
* भारत में यात्री गाड़ियों के लिए ऊर्जा की खपत में प्रति वर्ष 3.7-5.5% जबकि माल ढुलाई साधनों में ऊर्जा की खपत प्रति वर्ष 4.6-7.2% की दर से बढ़ रही है।
* कार्बन उत्सर्जन से संबंधित उपर्युक्त प्रवृत्तियों के मद्देनजर देश में न केवल उत्सर्जन मानकों को सख्त करने की आवश्यकता है, बल्कि विकार्बनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक दहन इंजन (Internal Combustion Engine) पर आधारित वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया को भी तेज करना होगा।

इलेक्ट्रिक व्हीकल

इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) आंतरिक दहन इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होते हैं। इन वाहनों में ईंधन टैंक की जगह इलेक्ट्रिक बैटरी का उपयोग किया जाता है।

* संचालन प्रक्रिया के सरल होने के कारण EVs की परिचालन लागत सामान्य रूप से कम होती है।
* बिजली से चालित होने के कारण इन वाहनों की टेलपाइप (Tailpipe) से किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होता है। साथ ही, इनमें ईंधन पंप, ईंधन लाइन या ईंधन टैंक जैसे घटकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे ये वाहन पर्यावरण के लिए भी अनुकूल माने जाते हैं।
* EVs में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (Battery Electric Vehicles-BEV) के अलावा, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (Plug in Hybrid Electric Vehicle-PHEV) और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (Hybrid Electric Vehicle-HEV) भी शामिल हैं।
* प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन में पेट्रोल/डीजल और बैटरी दोनों का उपयोग किया जा सकता है। इन वाहनों में दो पावर सिस्टम, एक आंतरिक दहन इंजन और एक बैटरी होती है। वाहन को बाहरी स्रोत में लगाकर बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है।

भारत–ऑस्ट्रेलिया
बहुध्रुवीय हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में स्वाभाविक भागीदार

• सतीश कुमार कर्ण

वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से अंतर-संबंधित रहे हैं। औपनिवेशिक काल से ही वैश्विक स्तर पर यह देखा गया कि आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों ने विभिन्न देशों के मध्य निर्मित होने वाले संबंधों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विकास की एक लंबी प्रक्रिया तय की है। एक समय तक भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियां वैश्विक संदर्भ में पृथक रूप में क्रियान्वित की जाती थीं। किंतु 21वीं सदी में परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि देश की आर्थिक एवं राजनैतिक रणनीतियों को समावेशित किया जाए तथा इन्हें एकीकृत रूप में अपनाया जाए।

परिवर्तनशील वैश्विक राजनीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनैतिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। इस क्षेत्र के प्रमुख भागीदार होने के कारण भारत एवं ऑस्ट्रेलिया अपेक्षाकृत अधिक व्यापक सुरक्षा रणनीति को अपनाने की ओर अग्रसर हैं। चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों के प्रत्युत्तर में दोनों देश क्वाड समूह के माध्यम से व्यापक सहयोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस (ऑस्ट्रेलिया-यूनाइटेड किंगडम-यूनाइटेड स्टेट्स) समूह के साथ भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। दो प्रमुख क्वाड शिखर सम्मेलनों तथा 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के पश्चात भारत एवं ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति जताई है। ऐसा करके दोनों देश आर्थिक सहयोग के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा, रक्षा तथा प्रौद्योगिकी जैसे अनेक अन्य क्षेत्रों में भी एक साथ कार्य कर सकते हैं। भारत एवं आस्ट्रेलिया के मध्य संबंधों की बढ़ती घनिष्ठता के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इनकी भूमिका का विश्लेषण करना समय की मांग है।

* 2 अप्रैल, 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 'आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते' (AusInd ECTA) पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया एवं व्यापार सुविधा तथा विवाद निपटान जैसे मुद्दे शामिल किए गए। इसमें वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, चमड़े एवं लकड़ी की वस्तुओं के लिए शुल्क मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने की बात की गई है। साथ ही, उदार वीजा नीति को अपनाने पर भी बल दिया गया है, जो दोनों देशों के बीच लोगों की आसान गतिशीलता को सुनिश्चित करेगी। उपर्युक्त के साथ-साथ भारत एवं ऑस्ट्रेलिया ने दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है। वर्तमान समय में दोनों देश क्वाड समूह का अभिन्न अंग हैं तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्र भू-राजनीति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक तरफ जहां, चीन आक्रामक रवैया अपना रहा है। वहीं दूसरी तरफ, अमेरिका तथा अनेक यूरोपीय शक्तियां अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। जब भारत एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के हित प्रत्यक्ष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र द्वारा निर्धारित होते हैं, तब ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की प्रगति का विश्लेषण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

हिंद–प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक महत्व

हाल के वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र भू-राजनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है। साथ ही, इस क्षेत्र की अवस्थिति इसके महत्व में वृद्धि करती है।

* विदित है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कुल 38 देश शामिल हैं। यह क्षेत्र वैश्विक भू-भाग का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है तथा यहां विश्व की कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग निवास करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, उपभोक्ताओं तथा निवेशकों को लाभ पहुंचाने वाले क्षेत्रीय व्यापार एवं निवेश के लगभग सभी अवसर इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं।
* वर्तमान समय में विश्व का 50% से अधिक समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। यही कारण है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर स्थित बंदरगाह विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं।
* आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह क्षेत्र वैश्विक जीडीपी में लगभग 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी करता है। अपनी व्यापक व्यापारिक गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र को ऊर्जा व्यापार (विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों) के दृष्टिकोण से अत्यंत ही संवेदनशील माना जाता है।
* बढ़ती भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण इस क्षेत्र में सैनिक गतिविधियों एवं राजनीतिक कूटनीति में व्यापक वृद्धि देखने को मिल रही है। चीन एवं अमेरिका के मध्य आर्थिक गतिविधियों को लेकर होने वाली प्रतिस्पर्धा ने इस क्षेत्र की चुनौतियों में वृद्धि की है।

भारत में पोषण सुरक्षा

2030 तक खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर स्थानांतरण

• संपादकीय डेस्क

उचित पोषण को विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है, इसके विपरीत अल्पपोषण मनुष्य के स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। अल्पपोषण, सामाजिक-आर्थिक न्याय में बाधक भी बनता है तथा यह गरीब और विकासशील देशों के स्वास्थ्य पर संसाधन खर्च का बोझ बढ़ाता है। सरकार के खाद्य सहायता कार्यक्रमों और नीतियों को सही तरह से लागू कर वंचित वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही आहार एवं पोषण से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना होगा, ताकि भूख और अल्पपोषण की समस्या का समाधान किया जा सके।

फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN World Food Programme) और भारत के 'ईशा फाउंडेशन' ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया, जो भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित है। यह समझौता ज्ञापन खाद्य और पोषण सुरक्षा के स्थायी समाधान के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी प्रावधान करता है।

* बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, घटती भूमि व जल संसाधन तथा पर्यावरणीय क्षरण के संदर्भ में भविष्य में सतत रूप से खाद्य उत्पादन की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही भोजन अपशिष्ट (food waste) से निपटने तथा पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए स्मार्ट तरीकों (Smart ways) को अपनाना होगा। पर्याप्त पोषण मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है तथा प्रोटीन, विटामिन और खनिज से संपन्न भोजन स्वस्थ जीवन की एक पूर्व शर्त है।

भारत और पोषण सुरक्षा

भारत में कुल वैश्विक जनसंख्या का 16 प्रतिशत से अधिक भाग निवास करता है। यह जनसंख्या भारत को विकास के पथ पर अग्रसर रखने के लिए मानव संसाधन की तरह कार्य करती है। इस कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

* भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि, 'राज्य अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल करेगा।' भारत में ठिगनापन (Child Stunting), दुर्बलता (child wasting) तथा बाल मृत्यु दर का उच्च स्तर पाया जाता है। बच्चों में अल्प वृद्धि के कुल वैश्विक मामलों का 31 प्रतिशत, दुर्बलता के मामलों का 51 प्रतिशत तथा नवजात बच्चों में मृत्यु के 16 प्रतिशत मामले पाए जाते हैं।
* भारत में चरम गरीबी (Extreme Poverty) से ग्रस्त लोगों की संख्या 1993 में 45.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015 में 13.4 प्रतिशत रह गई है। इसके बावजूद, भारत में अभी भी कुपोषण से पीड़ित व्यक्तियों की उच्च संख्या पाई जाती है। कुपोषण के कारण बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है तथा इसका परिणाम उन्हें जीवन भर झेलना पड़ता है। यह बच्चों के सीखने की क्षमता, कौशल विकास और उत्पादकता को प्रभावित करता है।

पोषण संबंधी मुद्दे का समाधान

* कुपोषण की समस्या से निपटने के तरीकों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

1. प्रत्यक्ष पोषण विशिष्ट हस्तक्षेप (Direct Nutrition Specific Interventions)
2. बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण (Multi-Sectoral Approach)

* **प्रत्यक्ष पोषण-विशिष्ट हस्तक्षेप:** इनमें व्यक्ति एवं समाज के पोषण स्तर को बढ़ावा देने वाली नीतियां और कार्यक्रम शामिल हैं। ये हस्तक्षेप खाद्य असुरक्षा और अल्प-पोषण की समस्या का समाधान करते हैं।
* **बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण:** यह खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सुसंगत रणनीतियों (Coherent Strategies) के माध्यम से पोषण संबंधी असुरक्षा को दूर करने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण आय और कृषि उत्पादन जैसे कुपोषण के प्रमुख निर्धारकों को सुधारने का प्रयास करता है।
* इसके अतिरिक्त यह महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का तथा सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच को बढ़ाने पर भी जोर देता है।

राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने वर्ष 1972 में राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो (National Nutrition Monitoring Bureau - NNMB) की स्थापना की थी।
- हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान इसका एक केंद्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (Central Reference Laboratory - CRL) है।
- **उद्देश्य:** आहार सेवन (Dietary Intakes) और जनसंख्या की पोषण स्थिति पर निरंतर डेटा एकत्र करना; राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।

मानवजनित पर्यावरणीय क्षति न्यूनीकरण की आवश्यकता एवं उपाय

• संपादकीय डेस्क

वर्तमान में मानवजनित गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों से पर्यावरणीय क्षति को बढ़ावा मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और मानव के अस्तित्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है। इसी चुनौती के समाधान के लिए पर्यावरणीय क्षति के न्यूनीकरण (Mitigation of Environmental Damage) हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति की गति को कम करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की छठी आकलन रिपोर्ट का तीसरा भाग प्रकाशित किया गया। आईपीसीसी की इस छठी आकलन रिपोर्ट का पहला भाग अगस्त 2021 में तथा दूसरा भाग फरवरी 2022 में जारी किया गया था। छठी आकलन रिपोर्ट के पहले भाग में यह चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2040 से पहले ही धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इससे जलवायु परिवर्तन में तेजी से वृद्धि होगी तथा सूखा, वनाग्नि एवं बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं के कारण लाखों लोगों, वनस्पतियों और वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है। यह एक अस्तित्वगत खतरा है, जो लगातार अधिक से अधिक चरम होता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पर्यावरण की क्षति के लिए प्राकृतिक कारणों की अपेक्षा मानवजनित कारण अधिक जिम्मेदार हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मानव द्वारा की जाने वाली अविवेकपूर्ण विकासात्मक गतिविधियों के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति के न्यूनीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।

मानवजनित पर्यावरणीय क्षति के न्यूनीकरण से अभिप्राय

मानवजनित पर्यावरणीय क्षति के न्यूनीकरण से तात्पर्य विकासात्मक गतिविधियों के संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणामों को न्यूनीकृत करने, टालने या ऑफसेट करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया से हैं।

- पर्यावरणीय क्षति के न्यूनीकरण के उपाय, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के निष्कर्षों की प्रतिक्रिया हैं। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य किसी भी परियोजना के लाभ को अधिकतम करना और अवांछनीय प्रभावों को कम करते हुए उसे मानव के अनुकूल बनाना है।
- इस तरह की क्षति के न्यूनीकरण के उपाय निवारक, सुधारात्मक या प्रतिपूरक उपायों के रूप में हो सकते हैं।

मानव जनित पर्यावरणीय क्षति के कारण

- **शहरीकरण:** शहरीकरण के कारण ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल की कमी की समस्या उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या के बढ़ने से झुग्गी-झोपड़ियों और अविकसित कॉलोनियों का विकास हो रहा है। इन सब कारणों से पर्यावरणीय क्षति को गति मिल रही है।
- **औद्योगीकरण:** औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हुई, विज्ञान उन्नत हुआ और आधुनिक व्यापक विनिर्माण युग सामने आया। इन सब के कारण औद्योगिक प्रदूषण को बढ़ावा मिला और औद्योगिक विनिर्माण के उद्देश्य से वनों का सफाया किया जाने लगा।
- **विकासात्मक परियोजनाएं (Developmental Projects):** अधिकांश बांधों के उनकी डिजाइन एवं अवस्थिति के कारण दूरगामी पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के नुकसान के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनके कारण तलछट प्रवाह में कमी, मत्स्य प्रवास में बाधा तथा अचानक आने वाली बाढ़ के कारण जानमाल की हानि और जल प्रदूषण में वृद्धि होती है।
- **पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन का अभाव:** पर्यावरणीय सिद्धांतों तथा नियमों की उपेक्षा एक अन्य कारण है, जिसकी वजह से मानवजनित पर्यावरणीय क्षति की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। अनियंत्रित उत्खनन और पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को अवैज्ञानिक तरीके से काटने के कारण मिट्टी के कटाव का खतरा बढ़ जाता है, जो भूस्खलन का कारण बनता है।
- **अवैज्ञानिक कृषि (Unscientific Agriculture):** वर्तमान में कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से वायु, मृदा और जल में विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जो पारिस्थितिक तंत्र में मृदा, जल और वायु को प्रभावित करते हैं।
- **बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों का अत्यधिक दोहन:** जैसे-जैसे मानव आबादी बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। यह अक्सर प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन का कारण बनता है और पर्यावरण के क्षरण में योगदान देता है। यूएनईपी (UNEP) के एक अध्ययन के अनुसार, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गैर-नवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक मानव उपभोग निकट भविष्य में

भारत में गरीबी
व्युत्पन्न मुद्दे एवं चुनौतियां

• संपादकीय डेस्क

भारत में गरीबी के स्तर में कमी लाने के लिए परंपरागत समाधान एवं उपायों से आगे जाकर कुछ ऐसे उपायों की खोज किये जाने की आवश्यकता है, जो आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी समाज का निर्माण कर सकें। इसी के आधार पर सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार एवं आय के समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के साथ-साथ फिनलैंड जैसे अनेक देश गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। भारत इन देशों में अपनाई जाने वाली नीतियों का अध्ययन करके उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल कर सकता है।

'भारत में गरीबी पिछले एक दशक में कम हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले सोचा गया था' (Poverty in India Has Declined over the Last Decade But Not As Much As Previously Thought) इस शीर्षक से विश्व बैंक द्वारा अप्रैल 2022 में प्रकाशित एक शोध-पत्र में कहा गया है कि गरीबी का स्तर वर्ष 2011 में 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% रह गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण गरीबी में 14.7% जबकि शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट आई है।

- इस प्रकार, यह शोध-पत्र अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा व्यक्त किए गए कथनों की पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया था कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 'अत्यधिक गरीबी' (Extreme Poverty) को काफी हद तक कम कर दिया गया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता के कारण पिछले 40 वर्षों में देश में उपभोग असमानता का स्तर अपने निम्नतम स्तर पर देखा गया है।
- गरीबी एक बहुआयामी घटना है, जिसमें एक व्यक्ति अथवा समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। विश्व बैंक का यह शोध-पत्र महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पास गरीबी के संदर्भ में हाल की अवधि का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। गरीबी की वर्तमान परिवर्तनशील प्रवृत्ति को देखते हुए इसके प्रमुख कारणों, व्युत्पन्न मुद्दों तथा चुनौतियों की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है।

गरीबी के प्रमुख कारण क्या हैं?

* **जनसंख्या वृद्धि:** अनुमान यह है कि वर्ष 2036 तक जनसंख्या में लगभग 311 मिलियन की वृद्धि हो जाएगी तथा संपूर्ण आबादी का लगभग 70% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करेगा। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि तथा ग्रामीण जनसंख्या के शहरी जनसंख्या में परिवर्तन से रोजगार एवं आजीविका के अवसरों में कमी होगी। यह प्रक्रिया अंततः गरीबी में वृद्धि करेगी।
* **कृषि में कम उत्पादकता:** छोटी भूमि जोत, कृषि की खंडित प्रकृति, फसल कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान तथा कृषि में नवीनतम तकनीकों के प्रयोग का अभाव कुछ ऐसी बाधाएं हैं, जो कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में कमी करती हैं। भारत में जब आज भी आबादी का लगभग 60% हिस्सा कृषि कार्यों में संलग्न है तो ऐसी स्थिति में कृषि में होने वाले कम उत्पादन से खाद्यान्न संकट के साथ गरीबी में व्यापक वृद्धि होना स्वाभाविक है।
* **आर्थिक विकास की निम्न दर:** एक विकासशील देश के रूप में भारत ने गरीबी से संबंधित अनेक सुधारों को लागू किया है। हालांकि, अन्य ओईसीडी (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) देशों की तुलना में विकास की दर अभी भी कम है।
* **कीमत वृद्धि की समस्या:** भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता तथा खनिज संसाधनों से संबंधित अनेक अन्य आवश्यकताओं हेतु विदेशी आयात पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में मुद्रास्फीति के रूप में देखने को मिलता है। उच्च मुद्रास्फीति के कारण गरीब व्यक्ति अपनी भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य जीवन आवश्यक सेवाओं का खर्च वहन नहीं कर पाते।
* **बेरोजगारी:** सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (Center for Monitoring Indian Economy-CMIE) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर जून 2019 में 7.87% से बढ़कर मई 2020 में 23.48% हो गई। बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूप से गरीबी को बढ़ावा देती है।
* **कुशल श्रम की कमी:** भारत में अकुशल श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन अपर्याप्त औद्योगिक शिक्षा और प्रशिक्षण के कारण कुशल श्रम की कमी बनी हुई है।

विषय विमर्श

सामाजिक पूंजी

भूमिका, बाधाएं एवं संभावनाएं

❑ महेन्द्र चिलकोटी

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समूह में कार्य करता है। मानव सभ्यता की सम्पूर्ण यात्रा में लोगों के बीच आपसी सहयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समूह में कार्य करने के लिए समूह के सदस्य मूल्यों तथा मानदंडों के आधार पर एक-दूसरे के साथ अंतर्क्रिया तथा सहयोग करते हैं। हाल के दशकों में मानव सहयोग की इस क्षमता को पहचानते हुए औपचारिक समूहों का निर्माण हुआ है, ताकि वर्तमान की प्रमुख चुनौतियों जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन आदि के समाधान के लिए मनुष्यों के आपसी सहयोग पर आधारित सामाजिक पूंजी का उपयोग किया जा सके।

सामाजिक पूंजी क्या है?

सामाजिक पूंजी (Social Capital) मानव अंतर्क्रिया के परिणामस्वरूप निर्मित सामाजिक नेटवर्कों के मूल्य से संबंधित है। ये सामाजिक नेटवर्क पारस्परिक विश्वास तथा निश्चित मानदंडों पर आधारित होते हैं तथा सभी सदस्यों को लाभ प्रदान करते हैं। मनुष्यों का सहयोगी व्यवहार सामाजिक पूंजी के निर्माण का आधार है।

- फ्रांसीसी समाजविज्ञानी पियरे बोर्दियू (Pierre bourdiev) के अनुसार 'सामाजिक पूंजी ऐसे संसाधन हैं, जो व्यक्तियों की सामाजिक वस्तुओं तक पहुंच को सुनिश्चित करते हैं।'
- कोलमेन ने सामाजिक पूंजी को सामाजिक संरचना के उन पहलुओं के रूप में परिभाषित किया है, जिनका उपयोग लोग अपने हितों की प्राप्ति हेतु संसाधनों तक पहुंच के लिए करते हैं।
- सामाजिक पूंजी पर सर्वाधिक विस्तृत कार्य अमेरिकी राजनीति विज्ञानी रॉबर्ट पुटनम ने किया है। पुटनम सामाजिक पूंजी की कल्पना एक समुदाय में लोगों के समूह-आधारित वार्तालाप एवं अंतर्क्रिया के उत्पाद के रूप में करते हैं।
- लोग सामुदायिक पहचान एवं मानदंड स्थापित करते हैं, एक-दूसरे पर विश्वास करते हैं तथा एक-दूसरे की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। सामाजिक पूंजी वित्तीय पूंजी की तरह ही एक संसाधन है, जो एक समुदाय में सामुदायिक एकजुटता के लिए प्रयुक्त होता है।
- सामाजिक पूंजी औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती है। व्यक्तियों को आपस में जोड़ने वाले सामाजिक संबंधों को संस्थागत बनाया जा सकता है, जिससे सामाजिक पूंजी को औपचारिकता प्रदान की जा सकती है।
- अनौपचारिक सामाजिक नेटवर्क संस्थागत नहीं होते हैं, परन्तु ये संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में लोगों के बीच धर्म, भाषा, जाति, समान राजनीतिक विचारधारा के आधार पर कुछ आपसी संबंध होते हैं। इन संबंधों के आधार पर लोग एक-दूसरे के साथ उत्पादक सहयोग करते हैं।
- किसी संगठन की सफलता चाहे वह संपूर्ण समाज हो या एक विशिष्ट समूह उपलब्ध सामाजिक पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि सामाजिक पूंजी को हमेशा सकारात्मक बदलाव से जोड़कर देखा गया है।

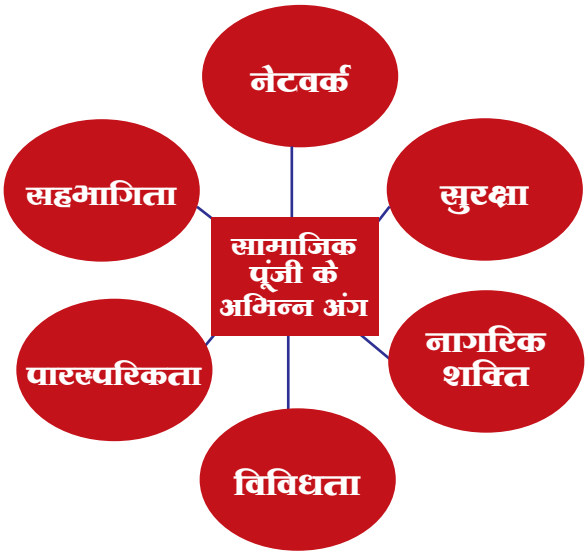

सामाजिक पूंजी की सामाजिक-आर्थिक विकास में भूमिका

सामाजिक पूंजी को वर्तमान में विकास की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। ऐसे कई उदाहरण उपलब्ध हैं, जिनमें सामाजिक पूंजी का निम्न स्तर आर्थिक तथा समाज कल्याण नीतियों की विफलता के लिए उत्तरदायी रहा है।

- भारत में समावेशी विकास तथा सामाजिक-आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक पूंजी अत्यंत आवश्यक तत्व है। सामाजिक पूंजी किसी समाज की शक्ति तथा एकजुटता का प्रतिबिंब है। जब समाज अच्छी तरह से जुड़े होते हैं तथा अत्यधिक भरोसेमंद होते हैं, अर्थव्यवस्था से लेकर लोकतंत्र तक सभी क्षेत्रों में इसके सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं।
- इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि सामाजिक पूंजी समाज और व्यक्तियों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व बैंक का विचार है कि सामाजिक पूंजी का उचित उपयोग विकास परियोजनाओं की प्रभावशीलता और स्थिरता को

नीति विश्लेषण

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को लागू किए जाने की आवश्यकता

• डॉ. अमरजीत भार्गव

वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रही है। सूचना एवं संचार से लेकर रक्षा जैसे क्षेत्र भी अपने अधिकांश क्रियाकलापों के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो रहे हैं। ऐसे समय में देशों के समक्ष साइबर चुनौतियां अधिक मजबूती के साथ उभरकर सामने आई हैं। इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में एक विस्तृत रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। समय की मांग है कि, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट मानदंडों को अतिशीघ्र लागू किया जाए।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (NCX India) का उद्घाटन किया। सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा इस अभ्यास को 18 अप्रैल से 29 अप्रैल, तक 10 दिनों के लिए आयोजित किया गया। अभ्यास में 140 से अधिक अधिकारियों को मैलवेयर इनफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म (MISP), घुसपैठ का पता लगाने की तकनीक, डेटाफ्लो एवं नेटवर्क प्रोटोकॉल, पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिस्टम तथा डिजिटल फॉरेंसिक विषयों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (Data Security Council of India-DSCI) का गठन किया गया था। इस परिषद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भारत के लिए एक सुदृढ़, भरोसेमंद, लचीला एवं सुरक्षित साइबरस्पेस सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति' की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।

- इसके पश्चात से ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत कार्यरत 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक' (National Cyber Security Coordinator) के कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 (National Cyber Security Strategy 2020) पर कार्य किया जा रहा है।
- किंतु, व्यापक प्रयासों के बावजूद इस रणनीति को वर्तमान समय तक लागू नहीं किया जा सका है। देश में बढ़ते साइबर अपराधों की संख्या को देखते हुए समय-समय पर इस रणनीति को शीघ्र लागू किए जाने की वकालत की जाती रही है। उपर्युक्त संदर्भ में रणनीति को लागू किए जाने के मार्ग में आने वाली चुनौतियां एवं इसके महत्व पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है।

भारत में साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता क्यों है?

* **साइबर सुरक्षा क्षमता हासिल करना:** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल तथा ब्रिटेन जैसे अनेक यूरोपीय देशों ने समय के साथ अपनी साइबर युद्ध क्षमता में व्यापक वृद्धि की है। 21वीं सदी के आरंभ से ही इन देशों ने साइबर हमलों से बचाव की रणनीति विकसित करने के लिए अतिरिक्त निवेश किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भूमिका के मद्देनजर भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी साइबर युद्ध एवं बचाव क्षमता में वृद्धि करे।
* **डिजिटल युग की बढ़ती प्रासंगिकता:** वर्तमान समय में भारत में इंटरनेट तथा मोबाइल फोन की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। कोविड-19 महामारी के पश्चात 'वर्क फ्रॉम होम' तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे अनेक कार्यों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला है। आने वाले समय में, देश में 5G इंटरनेट तकनीक के विस्तार के साथ आर्थिक गतिविधियों की परस्परता में भी वृद्धि होगी। डिजिटलीकरण के वर्तमान स्तर को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि भारत में स्पष्ट साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है।
* **भारत में साइबर हमलों में वृद्धि:** वर्ष 2021 में अमेरिका के साइबर सुरक्षा फर्म पालो ऑल्टो नेटवर्क्स द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत साइबर हमलों एवं हैकिंग गतिविधियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2021 में औसत रूप से प्रत्येक चार में से एक भारतीय संगठन को रैंसमवेयर हमले का सामना करना पड़ा। एक विस्तृत रणनीति के माध्यम से ही इस प्रकार की समस्याओं से निपटा जा सकता है।
* **सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा:** भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 के आरंभिक कुछ महीनों में देश भर में लगभग 6.67 लाख साइबर हमले दर्ज किए गए थे। भारत में स्थानीय स्तर से लेकर राज्य एवं केंद्र सरकार के स्तर तक आंकड़ों का संकलन एवं संग्रहण करने वाली संस्थाओं पर साइबर हमलों की आशंका अधिक रहती है।
* **नागरिकों एवं व्यावसायिक संगठनों की सुरक्षा:** भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में सोशल नेटवर्किंग साइटों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। प्रतिदिन व्यापक स्तर पर तस्वीरों, वीडियो तथा अन्य व्यक्तिगत जानकारी को लोगों द्वारा एक दूसरे के साथ साझा किया जा रहा है। इसी प्रकार, देश में कार्यरत कंपनियों

in फोकस

- वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र : आवश्यकता एवं महत्व
- भारतीय उद्यमिता क्षेत्र में महिलाएं : नीतियां, अवसर एवं चुनौतियां
- भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया : वैधानिक उपाय तथा संबंधित मुद्दे
- महामारी नियंत्रण एवं आईपी अधिकार : समन्वय की आवश्यकता व औचित्य
- चरम जलवायु घटनाएं : प्रभावशीलता एवं उपशमन पहलें
- भारत–मॉरीशस : हिन्द महासागरीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र

आवश्यकता एवं महत्व

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने हाल ही में गुजरात में नर्मदा जिले के केवडिया में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की अवधारणा में भारतीय कानूनी परिदृश्य को बदलने की क्षमता है।

- प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र सभी हितधारकों के पर्याप्त सहयोग के माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में उभर सकता है।

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र

एडीआर (Alternative Dispute Resolution) विवाद समाधान का एक ऐसा तंत्र है जो गैर-विरोधात्मक (Non-Adversarial) है, यानी इस तंत्र में सभी पक्ष सहयोगपूर्ण तरीके से सर्वोत्तम समाधान तक पहुंचने के लिए आपस में मिलकर काम करते हैं।

- वैकल्पिक विवाद समाधान, विवाद को हल करने के उन तरीकों को संदर्भित करता है, जो न्यायालयी मुकदमेबाजी के विकल्प हो सकते हैं।
- आमतौर पर यह तंत्र, विवाद समाधान की प्रक्रिया में एक तटस्थ तीसरे पक्ष का उपयोग करता है, जो विवाद से संबंधित पक्षों को संवाद करने, मतभेदों पर चर्चा करने तथा विवाद को हल करने में मदद करता है।

वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रकार

✓ **पंच-निर्णय (Arbitration)**

- इस प्रक्रिया में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) के समक्ष विवाद को प्रस्तुत किया जाता है जो उस विवाद पर निर्णय लेता है।
- पंच-निर्णय की प्रक्रिया, न्यायालयी मुकदमेबाजी की तुलना में कम औपचारिक होती है और इसमें साक्ष्य से जुड़े नियमों में अक्सर ढील दी जाती है।
- आम तौर पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं होता तथा कुछ मामलों को छोड़कर, पंच-निर्णय की इस प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप की बहुत कम गुंजाइश होती है।

✓ **मध्यस्थता (Mediation)**

- इस प्रक्रिया में एक निष्पक्ष व्यक्ति जिसे 'मध्यस्थ' (Mediator) कहा जाता है, पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मदद करता है।
- वह विवाद का फैसला नहीं करता है, बल्कि पक्षों को अपने विवाद के समाधान के लिए संवाद करने में मदद करता है ताकि वे स्वयं विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सकें।

✓ **सुलह (Conciliation)**

- यह एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया है, जिसमें एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष- सुलहकर्ता (conciliator), विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने में पक्षों की सहायता करता है। यह पंच निर्णय की तुलना में विवाद समाधान का कम औपचारिक रूप है।
- इसमें पक्ष सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन यदि दोनों पक्ष सुलहकर्ता द्वारा तैयार किए गए निपटान दस्तावेज को स्वीकार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है।

✓ **समझौता वार्ता (Negotiation)**

- इसमें संबंधित पक्ष आपसी सहमति से अपने फायदे के लिए सौदेबाजी करते हैं। यह किसी विवाद को सुलझाने का सबसे सामान्य रूप है।
- इस प्रक्रिया में वे कभी-कभी पक्ष एक रचनात्मक विकल्प अपनाने की कोशिश करते हैं जो उनके आपसी हितों को संबोधित करे।

✓ **लोक अदालत (Lok Adalat)**

- सभी प्रकार के सिविल वाद तथा 'सभी आपराधिक मामले' (ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है) लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते हैं।

भारतीय उद्यमिता क्षेत्र में महिलाएं
नीतियां, अवसर एवं चुनौतियां

8 मार्च, 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता मंत्री नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान 'समर्थ' (SAMARTH) का शुभारंभ किया। भारत सरकार तथा MSME मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाओं एवं पहल के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिर भी, वर्तमान समय तक उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अत्यंत निम्न है।

- देश में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में नए विचारों को आकर्षित करने तथा आर्थिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, महिलाओं के रूप में आधी आबादी का इस क्षेत्र में पीछे रहना चिंता का विषय है।
- सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त होने के कारण विश्व के अनेक देशों के साथ भारत में भी स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। नवाचार तथा नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्टार्टअप क्षेत्र भारत जैसे विकासशील देश की अनेक समस्याओं के लिए समाधान प्रदान कर सकता है। किंतु उद्यमिता एवं स्टार्टअप क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में महिलाओं एवं पुरुषों की समान भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए।

भारतीय उद्यमिता क्षेत्र में महिलाएं

उद्यमिता को प्रायः पुरुष प्रधान कार्यक्षेत्र के रूप में देखा जाता रहा है तथा महिलाओं की अनदेखी की जाती रही है। आने वाले समय में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था (+5 Trillion Economy) बनाने के लिये देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

- उद्यमिता के क्षेत्र में भारत का लैंगिक संतुलन विश्व के अन्य प्रमुख देशों की तुलना में काफी कम है और इसमें सुधार करना न केवल लैंगिक समानता के लिये बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- वर्ष 2021 में भारत में औसत रूप से प्रति माह 3 कंपनियों ने यूनिकॉर्न का दर्जा (1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्ट-अप फर्म) प्राप्त किया, जिसके कारण वर्तमान में इनकी संख्या 51 हो गई है। यह यूनाइटेड किंगडम (32) और जर्मनी (32) से अधिक है।
- भारत के इन 51 यूनिकॉर्न में से 5 का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। MSME के तहत उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं ने फैशन, टेक्सटाइल और होममेड एक्सेसरीज जैसे क्षेत्रों के स्टार्टअप्स में अधिक रुचि प्रदर्शित की है।

उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं के लिए नीतियां एवं अवसर

महिला स्नातकों के स्टार्टअप विचारों को प्रोत्साहित करने के लिये देश भर के अनेक कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों द्वारा महिलाओं के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

- नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित महिला उद्यमिता कार्यक्रम (Women Entrepreneurship Programme-WEP) के माध्यम से महिलाओं के लिए 'इनक्यूबेशन' और 'एक्सिलेरेशन' (Incubation and Acceleration) सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
- 'देना शक्ति योजना' (Dena Shakti Yojana) के अंतर्गत कृषि, विनिर्माण, माइक्रो-क्रेडिट, रिटेल स्टोर या छोटे उद्यम क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना ब्याज दर पर 0.25% की छूट भी प्रदान करती है।
- भारत सरकार ने SC, ST और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 'स्टैंड अप इंडिया' (Stand Up India) योजना आरंभ की है, ताकि इन वर्गों को संस्थागत ऋण संरचना का लाभ प्राप्त हो सके।
- 'स्त्री शक्ति योजना' (Stree Shakti Yojana) और 'ओरिएंट महिला विकास योजना' (Oriental Women's Development Scheme) स्वामित्व का अधिकार रखने वाली कारोबारी महिलाओं का समर्थन करती हैं। खानपान/कैटरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छुक महिलाएं 'अन्नपूर्णा योजना' (Annapurna scheme) के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

महिला उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

✓ **वित्तीय चुनौतियां**

- किसी भी उद्यम के लिए वित्त जुटाना और उसका प्रबंधन करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। परन्तु, इस संदर्भ में 'महिला उद्यमियों' (Women Entrepreneurs) की चुनौतियां पुरुष उद्यमियों की तुलना में अधिक होती हैं। ऐसा देखा गया है कि अनेक सरकारी प्रयासों के बावजूद अभी भी वित्तीय संस्थान महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के इच्छुक नहीं होते। साथ ही महिलाओं के पास ऋण प्राप्त करने के लिए 'संपार्श्विक' (Collateral) के रूप में कोई संपत्ति भी आमतौर पर नहीं होती।
- 'वेंचर इंटेलिजेंस' (Venture Intelligence) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में उच्च क्षमता वाले स्टार्ट-अप (High Potential Start-up) द्वारा जुटाई गई कुल फंडिंग का केवल 6.5% भाग ही महिला उद्यमियों के पास गया।

✓ **सामाजिक तथा पारिवारिक बाधाएं**

- भारत में 'पारिवारिक तथा सामाजिक ढांचा' इस तरह का है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अक्सर घरेलू जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। 'लिंग आधारित कार्य विभाजन' (Gender based Work Division) के कारण महिलाओं की घर से बाहर के कार्यों में भूमिका सीमित हो जाती है।

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय मुद्दे

♦ राजभाषा हिंदी तथा भारतीय संविधान

न्यायपालिका

♦ विदेशी दान प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
♦ रिक्यूजल ऑफ जजेस

संस्थान एवं निकाय

♦ क्षेत्रीय परिषद : संरचना एवं कार्य
♦ एनएफडीसी के तहत 4 फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय

अंतरराज्यीय संबंध

♦ मुल्लापेरियार बांध तथा बांध सुरक्षा अधिनियम
♦ सतलज यमुना लिंक नहर विवाद

कार्यक्रम एवं पहल

♦ सड़क दुर्घटनाओं पर त्वरित जानकारी हेतु ई-डीएआर पोर्टल
♦ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
♦ ई-बीसीएएस परियोजना

राष्ट्रीय सुरक्षा

♦ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन
♦ सीमा दर्शन परियोजना

विविध

♦ एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट

संक्षिप्तिकी

♦ टूअर ऑफ ड्यूटी
♦ सवालों के घेरे में सीबीआई की विश्वसनीयता

न्यूज बुलेट्स

राष्ट्रीय मुद्दे

राजभाषा हिंदी तथा भारतीय संविधान

पूर्वोत्तर के कई संगठनों ने क्षेत्र में 10वीं तक हिंदी को अनिवार्य करने के केंद्र के प्रस्ताव का हाल ही में विरोध किया तथा सरकार से अपने कदम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

- अवगत करा दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में कक्षा 10 तक हिंदी अनिवार्य कर दी जाएगी।
- हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि हिंदी को अंग्रेजी का विकल्प होना चाहिए न कि स्थानीय भाषाओं का।

पूर्वोत्तर राज्यों में शैक्षिक भाषा के रूप में हिंदी

उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कक्षा 8 तक हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है।

- अरुणाचल प्रदेश में हिंदी एक लोक-भाषा (lingua franca) है तथा वहां कक्षा 10 तक हिंदी पहले से ही अनिवार्य विषय के रूप में है।
- वहीं त्रिपुरा राज्य में हिंदी किसी भी कक्षा तक अनिवार्य नहीं है।

भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा

संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत की 22 आधिकारिक भाषाएं हैं।

- जनगणना 2011 के भाषा संबंधी आंकड़ों के अनुसार हिंदी भारत की सबसे तेजी से बढ़ती भाषा है।
- जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2001 से 2011 के बीच देश में हिंदी भाषी लोगों की संख्या में 10 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई (25.19 प्रतिशत की बढ़त)।

- भारत में हिंदी भाषा की पूरी तस्वीर को देखें तो यहां लगभग 520 मिलियन (52 करोड़) लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं।
- वहीं बंगाली भाषा को देश में 97 मिलियन बोलते हैं तथा यह दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। जबकि मराठी तीसरे स्थान पर है, जिसे 83 मिलियन लोग बोलते हैं।

संविधान सभा में हिंदी पर बहस

ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में प्रशासन का संचालन अंग्रेजी भाषा में किया जाता था।

- संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के समक्ष यह तय करने की जिम्मेदारी थी कि इसे जारी रखा जाए या किसी अन्य भाषा (मुख्य रूप से हिंदी) को भारत की राजभाषा निर्धारित किया जाए।
- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था और इसे अपनाने का आह्वान किया था। संविधान सभा में कुछ प्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी की इस राय का उल्लेख करते हुए हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग की।
- हालांकि संविधान सभा के कुछ प्रतिनिधियों का मानना था कि यद्यपि भारत में हिंदी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, परन्तु यह देश के सभी हिस्सों में नहीं बोली जाती।
- इसलिए उसे अपनाना दूसरे गैर-हिंदी भाषी लोगों पर इसे थोपने जैसा है।